

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक सम/संचार/ 205/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4.4.16

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आंचलिक कार्य आयोजना) म.प्र.
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी, अनुसंधान एवं विस्तार एवं कार्य आयोजना) म.प्र.

विषय :- विभागीय शासकीय आवास गृहों बावत् ।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र. सम/संचार/ 706, दिनांक 29.01.2016

—0—

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र द्वारा शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 के अध्याय-सात, नियम 17 में दिये गये निम्न प्रावधानों अनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत लेख किया गया था।

7. शासकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/त्याग पत्र के कारण रिक्त होने वाले शासकीय आवासों के संबंध में शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 के अध्याय-सात, नियम 17 में निम्नानुसार प्रावधान उल्लेखित है -

17 (3) नवंबर माह या बाद में स्थानांतरण पर जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी को शिक्षा सत्र में स्वयं की पढ़ाई, पत्नी की पढ़ाई तथा बच्चों की पढ़ाई के लिये समुचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर आगामी मई तक आवास रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी तथा लायसेंस शुल्क सामान्य दर से लिया जायेगा।

- 17 (5)
1. सेवा निवृत्ति या स्थानांतरण पर आवास रखने का आवेदन प्राप्त होने पर दो माह तथा विशेष परिस्थिति में चार माह तक आवास धारण करने की अनुमति दी जा सकेगी,
 2. त्यागपत्र/बरखास्तगी से पृथक होने एवं अपने पद से अनाधिकृत अनुपस्थिति रहने पर एक माह,
 3. भारत से बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर चार माह,
 4. अस्थायी स्थानांतरण व विदेश में स्थानांतरण पर चार माह,
 5. सम्पूर्ण कालावधि किन्तु छः माह से अधिक नहीं,
 6. बीमारी के कारण स्वीकृत अवकाश कैसर/टी.बी. को छोड़कर - अवकाश की सम्पूर्ण कालावधि, किन्तु आठ माह से अधिक नहीं,
 7. कैसर/टी.बी. के कारण स्वीकृत अवकाश में अवकाश की सम्पूर्ण अवधि तथा
 8. प्रशिक्षण हेतु बाहर जाने पर - प्रशिक्षण की सम्पूर्ण कालावधि

17 (6) आवास रखने की अनुज्ञा प्राप्त न करने की स्थिति में कब्जा अनाधिकृत माना जाएगा और लायसेंस शुल्क बाजार दर की दुगुनी दर से वसूल किया जाएगा तथा निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र क्र. एफ 01-03/2013/दो -ए (3) , दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से आवास आवंटन नियम, 2000 में आवंटन नियम, अध्याय- सात के नियम 17 की सभी कंडिकाओं (1 से 7) को समाप्त करते हुए निम्न नियम स्थापित किया है -

" भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित होने, सेवा निवृत्त होने, त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक होने अथवा अन्य किसी कारणों से आवास रखने के लिये अनाधिकृत होने पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिये शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास रख सकेगा एवं इसके उपरांत दांडिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। "

प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र क्र. एफ 01-03/2013/दो-ए (3) , दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 की प्रति संलग्न है। कृपया विभागीय आवासों के संबंध में म.प्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(नरेंद्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक सम/संचार/ 2052 भोपाल, दिनांक 4.4.16
प्रतिलिपि कार्यालयीन पत्र पृष्ठांकन क्र. सम/संचार/707, दिनांक 29.01.2016 के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 की प्रति सहित

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.भोपाल
2. प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट, म.प्र.
की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश